बिन्दु 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

निर्णय करने की प्रक्रिया

शिक्षण संबंधी निर्णय हेतु संबंधित संकाय की परिषदों के सुझावों पर विश्वविद्यालय विद्वत परिषद निर्णय लेती है जिस पर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद विचारोपरांत विद्वत परिषद के सुझावों/निर्णयों को स्वीकार करती है। विश्वविद्यालय के शिक्षण संबंधी कार्यों को सुचारु रुप से चलाने के लिए शिक्षण नियमावली का पालन किया जाता है।

विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रसार संबंधी कार्यों के नीति निर्धारण हेतु प्रसार/शोध परामर्श समिति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिनके अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जाता है तथा योजनाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। स्वीकृति होने पर संबंधित योजना विश्वविद्यालय में लागू कर दी जाती है।

प्रशासनिक संबंधी कार्यों के संचालन हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों के प्रस्तावों पर विचारोपरांत कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। विश्वविद्यालय के बजट, नियमों, नियुक्तियों के लिए दिशा–निर्देशों हेतु संबंधित विभागों के प्रस्तावों को विश्वविद्यालय की वित्त समिति तथा प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जिसे विचारोपरांत स्वीकार करने पर विश्वविद्यालय में लागू किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय की नीति, कार्यकलापों में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति हेतु शासन के माध्यम से भेजा जाता है। अन्य वित्त एवं नियोजन संबंधी प्रस्ताव शासन की स्वीकृति के उपरांत विश्वविद्यालय में लागू किये जाते हैं। विश्वविद्यालय के समस्त आय–व्ययकों का समय–समय पर शासन के आडिट विभाग द्वारा आडिट किया जाता है।